न्यायालय श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 08/2011

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नाथू पुत्र मांग्या, जाति–जाट, निवासी–कास्या, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (मृतक)।
   1/1 श्रीलाल पुत्र स्व0 नाथूराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कंस्या, तहसील–फागी।
   1/2 कानी देवी पुत्री स्व0 नाथूराम पत्नी स्व0 रिद्धकरण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कुडली, तहसील–फागी।
   1/3 नानी देवी पुत्री स्व0 नाथूराम पत्नी नारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कुडली, तहसील–फागी।
   1/4 नोसर देवी पुत्री स्व0 नाथूराम पत्नी रामजीवण, जाति–जाट, ग्राम देसमी, तहसील–मालपुरा, जिला–टोक (राजस्थान)।
   1/5 लछमा देवी पुत्री स्व0 नाथूराम पत्नी गोगाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देसमी, तहसील–मालपुरा, जिला–टोक (राजस्थान)।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 29.10.2018

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मैदवास की आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा में से 3 बिस्वा नाथू पुत्र श्री मांग्या, कौम जाट के हक में दिनांक 19.06.1992 को नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1029 नाथू के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थी नाथू के गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों

प्रतिलिपि

बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मैदवास की आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा में से 3 बिस्वा नाथू पुत्र श्री मांग्या, कौम जाट के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1029 नाथू के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी नाथू की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा में से 3 बिस्वा वाके ग्राम मैदवास नाथू पुत्र श्री मांग्या, जाति–जाट को सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 19.06.1992 को नियमन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–1029 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 19.06.1992 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नदी की आराजी को दि0 19.06.1992 को नाथू पुत्र मांग्या, जाति–जाट को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के

जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधिल नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम मैदवास की आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 74 बीधा 07 बिस्वा में से 3 बिस्वा नाथू पुत्र मांग्या, कौम जाट के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1029 नाथू के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी का स्वीकार होने के फलस्वरूप अप्रार्थी नाथू की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 19.06.1992 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का क्रथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का नियमन नाथू पुत्र मांग्या, जाति–जाट को दिनांक 19.06.1992 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–1029 ग्राम–मैदवास से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचंक गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी गैर–खातेदारी/खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का नियमन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार

मुमकिन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 204 रकबा 74 बीघा 07 बिस्वा में से 03 बिस्वा वाकै ग्राम–मैदवास नियमन दिनांक 19.06.1992 बहक नाथू पुत्र मांग्या, जाति–जाट को निरस्त करने एवं इस नियमन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 18.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2018 को सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर